संख्या–1454 / 9आ–1–2000–110विविध / 99

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 26 अगस्त, 2000

विषय :लखनऊ विकास प्राधिकरण की विकसित योजनाओं में किये जा रहे अनुरक्षण हेतु अनुरक्षण शुल्क की दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्रांक–4397 / 9–आ–1–99–दिनांक 24–1–2000 एवं आपके पत्रांक–2729 / ए0ए01(ई / एम) / 2000, दिनांक 21 मार्च, 2000 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित ऐसी योजनायें जो लखनऊ नगर निगम को अब तक हस्तान्तरित नहीं की गयी हैं और आवंटियों ने रहना प्रारम्भ कर दिया है, की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये अनुरक्षण व्यवस्था हेतु भूखण्डों के क्षेत्रफल पर निम्नलिखित दर पर अनुरक्षण शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) मार्ग प्रकाश हेतु सम्पूर्ण अनुरक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत।
(2) जलापूर्ति हेतु सम्पूर्ण अनुरक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत।
(3) सड़क तथा पार्क हेतु सम्पूर्ण अनुरक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत।
(4) सीवरेज हेतु सम्पूर्ण अनुरक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत।
(5) स्वीपिंग एवं नालों की सफाई हेतु सम्पूर्ण अनुरक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत।

2. कृपया तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।

संख्या–1454(1) / 9–आ–1–2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2– जिलाधिकारी, लखनऊ।
3– मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार
अनु सचिव।